# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल ,
आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण सं. 9/2012

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगणः– |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर | | 1.शान्तिलाल के कायम मुकामः–<br>1/1.महेश पुत्र शांतिलाल<br>1/2.गोपाल पुत्र शांतिलाल<br>1/3.अनिल पुत्र शांतिलाल<br>1/4.बेबी पुत्री शांतिलाल<br>जाति सेवग, निवासी जालोर |

अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–
1.श्री छोटूसिंह , विद्वान सरकारी अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2.श्री दिलीप शर्मा., विद्वान अभिभाषक,अप्रार्थी सं.1/2 की ओर से।
3.दीगर अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 17.7.2019

1. प्रार्थी तहसीलदार आहोर ने यह रेफरेन्स प्रार्थनापत्र सरकार की ओर से प्रस्तुत किया है कि ग्राम जालोर–बी के गत खसरा नम्बर 724 रकबा 373 बीघा 1 बिस्वा,किस्म गैर मुमकिन दी थी, उपखण्ड अधिकारी जालोर के आदेश क्रमांक 2943 दिनांक 20.10.71 से ग्राम जालोर–बी के खसरा नम्बर 724 कुल रकबा 313 बीघा 1 बिस्वा गैर मुमकिन नदी में से 40 बीघा की किस्म बदली जाकर बारानी थर्ड की गई जिसका नामान्तरकरण सं. 217 दिनांक 25.1.72 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। दिनांक 11.4.69 को जालोर–बी के गत खसरा नम्बर 724रकबा 40 बीघा किस्म गैर मुमकिन नदी में से अप्रार्थी सं.1–शांतिलाल पुत्र प्रतापचंद,जाति सेवग साकिन जालोर को 20बीघा भूमि आवंटन होने पर नामान्तरकरण सं. 228दिनांक 25.1.72 से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। श्री शांतिलाल को नामान्तकरण सं. 687दिनांक 10.12.78 से गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया।उक्त गत खसरा नम्बर 724 किस्म गैर मुमकिन नदी के हाल खसरा नम्बर 5165, 5167 किस्म बारानी सोयम बने है जो मिलान क्षैत्रफल, जमाबंदी संवत् 2067–2070 से स्पष्ट है। आवंटन की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी है जो



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

आवंटन योग्य नही है। हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट जनहित याचिका सं. 1536/2003अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय के अनुसार इस प्रकार के आवंटन जो गैर मुमकिन नदी की भूमि में किये गये है, निरस्त किये जाने है। अप्रार्थी को आवंटन की गई भूमि की मूल किस्म गैर मुमकिन नदी है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत् प्रतिबंधित भूमि है। इस प्रकार उक्त अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन नियम विरूद्ध है। अतः अप्रार्थी सं.1 को किया गया आवंटन एवं इसके आधार पर आज तक राजस्व रैकार्ड में किये गये सभी इन्द्राजात्(ना.कं.सं. 228/25.1.72,687/10.12.78)निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर को रेफरेन्स किया जावे। शांतिलाल फौत के बाद अप्रार्थी सं.1/1से 1/4 उनके कायम मुकाम है, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया।

2. अप्रार्थीगण के नोटिस तारीख पेशी 25.11.2014 के आबाद मकान पर चस्पा के प्राप्त हुए है जिन्हें तामील की परिभाषा में माना जाकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. श्री दिलीप शर्मा वकील ने दिनांक 22.7.15 को अप्रार्थी सं. 1/2–गोपाल की ओर से एक प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 24.4.2015 को अप्रार्थी सं. 1/2–गोपाल के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही मंसुख फरमाने हेतु निवेदन किया जिंस पर बाद सुनवाई के दिनांक 4.12.15 को अप्रार्थी सं.1/2के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही दिनांक 24.4.15 निरस्त की गई।

4.. अप्रार्थी सं.1/2–गोपाल की ओर से उसके वकील उपस्थित हुए व दिनांक 20.7.2017 को प्रार्थनापत्र पेश किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय का न्याय की दृष्टि से प्रतिपादित निर्णयान्तर्गत प्रतिपादित सिद्धान्त हैं कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई से वंचित रखना न्यायोचित नही है। उपरोक्त अनवान प्रकरण में शेष अप्रार्थीगण अनिल शर्मा,बेबी इत्यादि की तामील न्यायोचित व विधिसम्मत तरीके से नही हुई है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर शेष अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु व्यापक तरीके से तलब फरमावे जो बाद सुनवाई के दिनांक 15.6.2018 को खारिज किया गया।

5. दिनांक 3.7.19 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से विद्वान सरकारी अभिभाषक ने बहस में बताया कि अप्रार्थी सं. 1–शांतिलाल को आवंटन की गई भूमि की किस्म मूलतः गैर मुमकिन नदी है जो आवंटन योग्य नही है। इस प्रकार अप्रार्थी–शांतिलाल को किया गया आवंटन नियमों के विपरीत है। अतः रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे व उपखण्ड अधिकारी जालोर के क्रमांक 1037 दिनांक 11.4.1969 से अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में किया गया



12/12/19
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

आवंटन आदेश व उसके आधार पर भरे गये नामान्तरकरण 228/25.1.72,687/10.12.78 आदि को निरस्त करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स किया जावे। इसके विपरीत अप्रार्थी सं.1/2 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि मौके पर नदी नही है ,आवंटन के समय भूमि की किस्म बारानी थर्ड थी, गैर मुमकिन नदी नही थी, अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया। खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2009 से 2028 के अनुसार मौजा जालोर–बी के खसरा नम्बर 724 रकबा 373 बीघा 1 बिस्वा की भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी अंकित है। खसरा नम्बर 724 में से अप्रार्थी सं.1को 20बीघा भूमि आवंटन हुई, खसरा नम्बर 724 के सेटलमेन्ट के दौरान् खसरा नम्बर 5165, 5167 रकबा कमशः 2.14, 0.94 हेक्टर बने हैं जिसकी किस्म बारानी सोयम अंकित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत किस्म गैर मुमकिन नदी प्रतिबंधित भूमि है जो आवंटन योग्य नही है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1–शांतिलाल को आवंटन की गई भूमि की किस्म मूलतः गैर मुमकिन नदी होने से किया गया आवंटन नियमों के विपरीत है, अतः आवंटन आदेश व इसके आधार पर स्वीकृत किये गये आज तक के नामान्तरकरण सं.228/25.1.72,687/10.12.78 आदि निरस्त करने हेतु रेफरेन्स करना आवश्यक है।

7. अतः प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को रेफरेन्स कर निवेदन हैं कि ग्राम जालोर–बी, जिला जालोर के गत खसरा नम्बर 724 रकबा 373बीघा 1 बिस्वा में से अप्रार्थी सं.1 को आवंटित 20 बीघा भूमि के बने नवीन खसरा नम्बर 5165,5167रकबा 3.08 हेक्टर, मूल किस्म गैरमुमकिन नदी की भूमि में से दिनांक 11.4.69 को आवंटन किया गया था। अतः आवंटन आदेश व उसकी पालना में भरे गये नामान्तरकरण सं. 228/25.1.72, 687/10.12.78 आदि को निरस्त कर उक्त भूमि पूर्वानुसार गैर मुमकिन नदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे। उक्त भूमि का रेफरेन्स प्रकरण विचाराधीन होने से अप्रार्थीगण माननीय राजस्व मण्डल से कोई अग्रिम आदेश नही होने तक भूमि की यथास्थिति बनाये रखे, इसकी प्रति तहसीलदार जालोर को भी भेजी जावे। पक्षकारान् माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 16.10.2019 को पैरवी हेतु उपस्थित रहे।

17/7/19
( छगनलाल गोयल )
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर (राज.)

आदेश, आज दिनांक 17.7.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

17/7/19
( छगनलाल गोयल )
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर (राज.)